Kindly attention to CGM NHAI, Jaipur

94 SP 92/183

Annex 1

2446
23.9.09

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय [मध्य क्षेत्र]

Fax 0141-2358095

पंचम तल, केन्द्रीय भवन
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ -226024
टेलीफैक्स–2324025

पत्र सं0 8 बी / राज0 / 06 / 13 / 2009 / एफ.सी. 677

दिनॉक : 08.09.2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के (2.852 हे0) मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अतिरिक्त सचिव, राजस्थान शासन, जयपुर का पत्रांक प01(139)वन / 2007 / जयपुर, दिनॉक: 18 / 06 / 2009

P. 92/C

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयाकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अ[redacted]म, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रस्तावित शाहजहॉ टोल प्लाजा लगभग 3 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, और इस पर विधिवत् दो वर्षों से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा था किन्तु फ़िर भी वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन को छिपाया गया एवं मात्र मूज घास साफ कर कार्य प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी, इसके लिए तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री एच0 सी0 अग्रवाल, प...जना निदेशक रा0उ0 पथ सं0 8, महाप्रबन्धक रा0उ0 पथ सं0 8, प्रबन्ध निदेशक, निर्माणकर्ता कम्पनी तथा उप वन संरक्षक, सा0वा0 प्रमण्डल, अलवर, दोषी... । इनके नाम एक सप्ताह में सूचित किये जाय।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने एवं 75 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्ति वनभूमि 5.704 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण अवनत वनभूमि पर करायेगा एवं पॉच वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. याचक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि जमा किया जायेगा।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। अतः दुगने अवनत वनभूमि अर्थात 2×2.852 हे0 = 5.704 हे0 पर दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि याचक विभाग द्वारा जमा की जायेगी। दण्डात्मक वृक्षारोपण की योजना, मानचित्र एवं भूमि का वृक्षारोपण हेतु [redacted] उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें।
6. वन संरक्षण अधिनियम में उल्लंघनकर्ता परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धक एवं वन प्रमुख पदाधिकारी तथा निर्माणकर्ता एजेन्सी के नाम व पता प्रस्तुत किये जाय, जिससे उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(कें.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अतिरिक्त महानिदेशक, (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सा0वा0 वन प्रभाग, अलवर, राजस्थान।
4. प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, एन0एच0 ए0 ऑफ इंडिया, कोरीडोर मैनेजमेन्ट यूनिट, कोटपुतली, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(कें.)